



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी सुखदेवपुरी पुत्र मांगूपुरी जाति गोस्वामी आयु 56 वर्ष नि. गुलजारपुरा कुचामनसिटी	ब ना म	प्रतिवादीगण मुनीरुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति सोलंकी मुसलमान गुलजारपुरा कुचामनसिटी वगैरह
राजस्व वाद = दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 (A) R.T.Act 1955		
वाद-पत्र नम्बर 147/2022		GCMS No.2022/ 293
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	
22/8/2022	वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 (A) R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में मेवाराम पुत्र रुधाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील नावां की ओर से केवियट प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 148 ए सीपीसी के तहत प्रस्तुत हो रखा है। मेवाराम एवं प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक <u>25/8/2022</u> को पेश हो। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </div> 25/8/2022 एकलपत्र कार्यवाही को समाप्त किया गया। इसकी प्रतीति के रूप में यह कार्य समाप्त किया गया। मे उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के द्वारा कार्यवाही के लिए काम लेना चाहिए।	
	<div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </div>	